[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 6th April, 2011

G.S.R. No. .- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 642, read with sub-section (1B) of section 314 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Director's Relatives (Office or Place of Profit) Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called Director's Relatives (Office or Place of Profit) Amendment Rules, 2011.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Director's Relatives (Office or Place of Profit) Rules, 2003, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, for the figures "50,000", the figures "2,50,000" shall be substituted.

3. In the said rules, for the figures "50,000", the figures "2,50,000" shall be substituted.

4. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

   'The selection and appointment of a relative of a director holding office or place of profit in the company shall be approved by adopting the same procedure applicable to non- relatives :

   Provided that, in the case of listed public companies, the selection of director for holding place of office or profit in the company shall have to be also approved by a Selection Committee.

EXPLANATION.- For the purpose of this sub-rule, the expression "Selection Committee" means a committee, the majority of which shall consist of independent directors and an expert in the respective field from outside the company :

Provided that in case of unlisted companies, independent directors are not necessary but outside experts should be thee in the Selection Committee:

Provided further that in the case of private companies, independent directors and outside experts are not necessary.

[F.No.17/75/2011-C.L.V]

Somanathan

(Dr T.V. Somanathan)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांकः 6th April 2011

अधिसूचना

सा.का.नि.........कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 314 की उप-धारा(1ख) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निदेशकों के संबंधी (लाभ का पद या स्थान) नियम, 2003 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः-

1. (1) इन नियमों को निदेशकों के संबंधी (लाभ का पद या स्थान) संशोधन नियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. निदेशकों के संबंधी (लाभ का पद या स्थान) नियम, 2003 में (इसके बाद से उक्त नियमों के रुप में संदर्भित) नियम 3 में आंकड़ों " 50,000," के स्थान पर आकड़े "2,50,000" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः-

'किसी कंपनी में लाभ का पद या स्थान धारण करने वाले किसी निदेशक के संबंधी का चयन एवं नियुक्ति गैर- संबंधियों के लिए लागू समान प्रक्रियाओं के द्वारा ही अनुमोदित की जाएगीः

बशर्ते कि, सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के मामले में, किसी कंपनी में लाभ का पद या स्थान धारण करने हेतु निदेशक के चयन के लिए भी चयन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति " चयन समिति " का अर्थ वह समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा कंपनी के बाहर से संबंधित क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ शामिल हो।

बशर्ते कि गैर- सूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता नहीं है परन्तु चयन समिति में बाहरी विशेषज्ञों का होना आवश्यक है।

बशर्ते की प्राइवेट कंपनियों के मामलों में, स्वतंत्र निदेशकों एवं बाहरी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है।

(फा. सं. 17/75/2011-सीएल-V)

सोमनाथन

(डॉ. टी. वी. सोमनाथन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार